



राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

फोन नं. - 0141-2851900 वेबसाइट - rera.rajasthan.gov.in

Rajasthan RERA

क्रमांक: एफ.6 (107) राज./रेरा/RTI/2019-12506

दिनांक: 9/9/2021

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिये राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम व फोन नं.	राज्य लोक सूचना अधिकारी का कार्यक्षेत्र
1	श्री अर्पित संचेती, संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रोजेक्ट्स) 0141-2851909	प्रोजेक्ट्स से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं हेतु
2	श्री हरिश चन्द्र हर्ष, सहायक रजिस्ट्रार (शिकायतें) 0141-2851928	शिकायतों से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं हेतु
3	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, उप रजिस्ट्रार (विधि) 0141-2851931	अन्य समस्त प्रकरणों की सूचनाओं हेतु

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत, उक्त समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों के विनिश्चय के विरुद्ध अपील के लिए श्री रमेश चन्द्र शर्मा, रजिस्ट्रार, राजस्थान-रेरा (टेलीफोन नं. 0141-2851905) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

यह अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

sd/-

(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान रेरा

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
5. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान रेरा, जयपुर।
6. IT सेल, राजस्थान रेरा को आदेश की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेश राजस्थान रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात् इसे RTI वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके इसकी पालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें, ताकि अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रेरा को अवगत कराया जा सके।

रजिस्ट्रार